

प्रिय,

एनएमओ सिविल  
विशेष सचिव  
उपग्रह शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,  
राज्य नगरीय विकास अधिकरण,  
30/10, लखनऊ।

प्रथम सं. दिनांक : 09 अक्टूबर, 2015

नगरीय योजनाएं एवं गरीबी  
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत शहरी गरीबों के लिये अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियाँ तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय परियोजना की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1807/192/10/ऊ:/विधि/आसरा/तकनीकी (शाहजहाँपुर तिलहर 108) दिनांक 30 जुलाई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों तथा नगरीय मलिन बस्तियों में आसरा योजना (आवासीय भवन) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-83 से जनपद- शाहजहाँपुर की निकाय- तिलहर की 66 रिलोकेशन आवासों की 01 परियोजना हेतु रु० 335.40 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तैयार, उक्त के लिये शासन सं. 16/70 स्तम्भ-7 में अंकित प्रथम किस्त के रूप में परियोजना लागत का 50 प्रतिशत अर्थात् कुल धनराशि 167.70 लाख (रुपये एक करोड़ सरसठ लाख सत्तर हजार मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/परिस्थितियों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लागू रु० में)

क्र० सं०	जनपद/निकाय का नाम	कुल आवासों की संख्या।	परियोजना की कुल अवस्थापना सुविधाओं सहित कुल आवासीय लागत।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों की संख्या।	अनुसूचित वर्ग के लाभार्थियों की संख्या।	अनुसूचित वर्ग के लिये की परियोजना अवस्थापना सहित कुल लागत।	प्रथम किस्त (50 प्रतिशत) के रूप में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि (संलग्न चार्जज एवं अन्य शुल्क सहित)।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	शाहजहाँपुर/तिलहर	108	548.84	66	66	335.40	167.70
		योग		66		335.40	167.70


- उक्त धनराशि का व्यय आसरा योजना (आवासीय भवन) के संबंध में जारी दिशा-निर्देश संख्या- 33/69-1-13-14(31)/2012टीसी(सी), दिनांक 16 जनवरी, 2013 एवं शासन संख्या-1833/69-1-14-14(31)/2012टीसी(सी) दिनांक 09 सितम्बर, 2014 में दिये गए दिशा-निर्देश/व्यवस्था का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जायेगी।
- प्रस्तावित कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अर्द्धांश-12 के प्रस्ताव-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

राज्य नगरीय विकास अधिकरण

3. प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों के आहरण/आवृत्त स्थानीय विवरण जारी प/स्वत्व कोष अथवा अन्य स्रोतों से स्वीकृत कराया जायेगा। साथ ही नियमानुसार समस्त आवश्यक योजनाएं आपूर्ति एवं पर्यावरणीय नियंत्रण प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि शासन/प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी। योजनावर्गित परियोजना में मानकीकृत क्षेत्रफल, मानचित्र एवं मात्रा में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुमत्त नहीं होगा।
5. उक्त धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का कार्ट ए-कैलेशन अनुमत्त नहीं होगा।
6. सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है। उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परिव्यय के अन्तर्गत होने एवं कार्यों की विरायति/पुनरावृत्ति न हो इसे सूडा/डूडा द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रायोजनावर्गित कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य विशिष्टियाँ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की कार्यदायी संस्था द्वारा तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव पर 03 माह के अन्दर व्यय वित्त समिति का पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. निर्माण कार्य आरम्भ करने के पूर्व इन-सीटू आवासी के भू-स्वामियों के भू-स्वामित्व का सन्धापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
9. सूडा/डूडा द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित आसरा योजनावर्गित आवासी के निर्माण से सम्बन्धित मानकीकरण के अनुसार ही आवास बनाये जाय व व्यय वित्त समिति द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
10. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण व सम्बन्धित डूडा द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिणतों का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि विन्दुओं सहित यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आश्रयस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित डूडा/डूके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर भी उक्तानुसार सभी पहलुओं पर आश्रयस्त हो लेंगे।
11. उक्त धनराशि का आहरण निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के प्रतिहस्ताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
12. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र0, इलाहाबाद को आदेश भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
13. स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर बैंक/डाकघर/डिपोजिट खाते व पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। प्रश्नगत आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्रोत की कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा।




14. इस धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में तथा बजट/अवश्य कक्ष विभागात योजना-समय पर प्रयोजन के रूप में स्वीकृत उत्तर धनराशि की 75 प्रतिशत धनराशि व्यय हो जाने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त तथा इसके सम्बन्ध में अतिरिक्त धनराशि/मुण्डा/... से संतुष्ट होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त की समय में उपरोक्त बजट/अवश्य कक्ष विभागात उत्तरधन योजना की अवशेष/दिल्ली व विगत की धनराशि अवशेष को आयोग निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि कोई हो, तो एकमुश्त शासन को वापस करने हगें।
  15. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 3090, लखनऊ आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों या निदेशक महालेखाकार के कार्यलय के लेखों से अवश्य करावेंगे।
  16. परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथाव्यवस्था धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व अनुदान (एमओओयू) निष्पादित किये जाने हेतु सूत्र द्वारा सम्बन्धित डूडा को निर्देशित किया जायेगा।
  17. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एमओओयू/एओपी/टीओएस/पीओ हेतु निर्धारित व्यवस्थानुसार केवल अनुसुचित जाति के लिए ही किया जायेगा।
2. उपरोक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय व्ययक में अनुदान संख्या 83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-शहरी आवास-789-अनुसुचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-आसरा योजना (आवासीय भवन) 24-बृहद निर्माण कार्य" के अन्तर्गत डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय जाप संख्या 2/2015/पी। 925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30.03.2015 व समय-समय पर जारी आदेशों के तहत किये जा रहे हैं।

भवदीय,  
  
 (एचओपीओ सिंह)  
 विशेष सचिव।>

संख्या-115/2015/2001(1)/69-1-15, तादितंक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेशित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदार), प्रथम, 3090, 20 सरोजनी जायड़ मार्ग, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय विधि लेखा परीक्षा विभाग, 3090, रुडवां लख, संगम प्लेस, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।
3. सचिव, नगरीय राजगार एवं गरीबी उन्मुक्तन कार्यक्रम विभाग, 3090 शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, शहजहापुर।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, 3090 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, 3090 शासन।
7. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, 3090, शासन।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 3090, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूडा को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,  
  
 (एचओपीओ सिंह)  
 विशेष सचिव।